संख्या–[handwritten]/पाँच–9–2014–9(113)/05टीसी

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

2– मिशन निदेशक,
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,
एन0आर0एच0एम0,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 4 फरवरी, 2014

विषयः–आशा कार्यकत्रियों को दिये जा रहे प्रोत्साहन भत्ते के पुनरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशा की भूमिका के महत्व के दृष्टिगत नेशनल हेल्थ मिशन के 'मिशन स्टीयरिंग ग्रुप' के अनुमोदन के अन्तर्गत अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अ0शा0पत्र संख्या–पी.17018/14/13–एनआरएचएम– IV, दिनांक 03.01.2014 में प्राप्त निर्देशों के कम में शासन द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है:–

1. विभिन्न गतिविधियों के लिए आशाओं को वर्तमान में दिये जा रहे प्रोत्साहन भत्ते का पुनरीक्षण/भुगतान संलग्नक– I के अनुसार किया जाय।
2. नवीन गतिविधियों के लिए आशाओं को प्रोत्साहन भत्ता संलग्नक– II के अनुसार अनुमन्य किया जाय। इसके अन्तर्गत जो गतिविधियॉ नियमित प्रकार की हैं, जैसे ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने (रू0 200.00), ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस के आयोजन हेतु (रू0 150.00) एवं ब्लाक स्तरीय बैठकों में भाग लेने के लिये (रू0 150.00) एवं विभिन्न प्रकार के अभिलेखों के रख–रखाव के लिये रू0 500.00 प्रदान किया जाय (विवरण संलग्नक–2 में है।) इस प्रकार आशा को प्रति माह कम से कम रू0 1000.00 का इनसेन्टिव प्राप्त हो सके।
3. आशाओं को प्राप्त होने वाले कास्ट नार्म की वर्तमान में प्रचलित दर रू0 10000/– प्रति आशा प्रति वर्ष को बढ़ाकर रू0 16000/– प्रति आशा प्रति वर्ष किया जाय। इस कास्ट नार्म में आशाओं के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग, सुपरविजन/सपोर्ट कास्ट, जाब एड्स कास्ट, टूल्स एण्ड किट्स तथा गैर मौद्रिक प्रोत्साहन सम्मिलित है।

2— आशा के कार्यों का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विस्तार हो रहा है व कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर रही हैं। अतः आशाओं के मनोबल को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि आशा के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं किया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या—[illegible] (1)/पाँच—9—2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ।
4. परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0डी0पी0, इन्दिरानगर, लखनऊ।
5. अधिशाषी निदेशक, सिफ्सा, लखनऊ।
6. निदेशक, पंचायती राज/महिला एवं बाल विकास/समेकित बाल विकास परियोजना/ राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
9. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
संयुक्त सचिव।

SO

आशा प्रतिपूर्ति राशि में संशोधन

आशा प्रतिपूर्ति राशि में संशोधन

क्र0 सं0	गतिविधि	पुराना मानक (रू0 में)	संशोधित मानक (रू0 में)
क	टीकाकरण		
1.	पल्स पोलियो कार्यक्रम के दौरान OPV टीकाकरण के लिए बच्चों को प्रेरित करने पर	रू0 75	रू0 1[illegible]
ख	पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम		
2.	डॉट्स प्रोवाइडर के रूप में (मरीज का इलाज पूरा होने पर या Cure होने पर)		
	डॉट प्रोवाइडर को मानदेय/परामर्श शुल्क (अ) नये टी0बी0 केस (लाभार्थी: कोई भी व्यक्ति जो डॉट प्रोवाइडर के रूप में कार्य करे, परन्तु वेतनभोगी स्वास्थ्य कार्यकर्ता न हो)	रू0 250	रू0 1000/– 42 सम्पर्क क्षय रोग के कैट 1 मरीजों से (नये मरीजों) 6 से 7 महीने में होने पर
	पुराने क्षय रोगियों हेतु (लाभार्थी: कोई भी व्यक्ति जो डॉट प्रोवाइडर के रूप में कार्य करे, परन्तु वेतनभोगी स्वास्थ्य कार्यकर्ता न हो)		रू0 1500/– 66 सम्पर्क क्षय रोग के कैट 2 मरीजों से (नये मरीजों) 8 से 9 महीने में होने पर
	कम्युनिटी डॉट प्रोवाइडर के रूप में ड्रग रजिस्टेन्ट टी0बी0 के मरीज इलाज में सहयोग हेतु प्रतिपूर्ति राशि	रू0 2500 इलाज पूर्ण होने पर (रू0 1000/– इन्टेन्सिव फेज हेतु एवं रू0 1500/– कन्टीन्युएशन फेज हेतु	रू0 5000 इलाज पूर्ण होने पर (रू0 2000/– इन्टेन्सिव फेज हेतु एवं रू0 3000/– कन्टीन्युएशन फेज हेतु
ग	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम		
3.	पौसी–बैसिलरी कुष्ठ रोगियों का संदर्भन एवं पूर्ण इलाज कराने पर	रू0 300 (नये केस की पहचान सम्मिलित)	रू0 250 (कुष्ठ रोग की पहचान हेतु सहयोग करने पर) + रू0 400 (उपचार के उपरान्त फालो अप करने पर)

4.	मल्टी- बैसिलरी कुष्ठ रोगियों का संदर्भन एवं पूर्ण इलाज कराने पर	रू0 500 (नये केस की पहचान सुनिश्चित)	रू0 250 (कुष्ठ रोग की पहचान हेतु सहयोग करने पर) + रू0 600 (उपचार के उपरान्त आरोग्य करने पर)
घ	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम		
	मलेरिया		
5.	रक्त पट्टिका बनाना	रू05 प्रति पट्टिका	रू015 रक्त पट्टिका बनाने पर या आर0डी0टी0 द्वारा जाँच करने पर
6.	आर0डी0टी0 द्वारा पाये गये Pf पॉजीटिव केस हेतु सम्पूर्ण उपचार उपलब्ध कराने पर	रू0 20	रू075
7.	रक्त पट्टिका द्वारा पाये गये Pf अथवा Pv पॉजीटिव केस हेतु Complete Redical उपचार उपलब्ध कराने पर	रू0 50	
कालाजार			
8.	आशा/स्वयं सेवक द्वारा केस के संदर्भन एवं सम्पूर्ण इलाज सुनिश्चित कराने पर	रू0 200/- प्रति केस	रू0 300/- प्रति केस संदर्भन एवं सम्पूर्ण इलाज सुनिश्चित कराने पर
लिम्फेटिक फाइलेरियासिस			
9.	लिम्फेटिक फाइलेरियासिस (वार्षिक मास ड्रग एडिमिनिस्ट्रेशन) हेतु	रू0 100/- प्रतिदिन अधिकतम तीन दिवस में 50 घर आच्छादित करने पर अथवा 250 व्यक्तियों को दवा देने पर	रू0 200/- प्रतिदिन अधिकतम तीन दिवस में 50 घर आच्छादित करने पर अथवा 250 व्यक्तियों को दवा देने पर

संलग्नक—2

नयी गतिविधियों हेतु प्रतिपूर्ति राशि

क्र0सं0	गतिविधि	प्रस्तावित मानक (रू0 में)
क	परिवार नियोजन	
i	लाभार्थी को PPIUCD लगवाने हेतु स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने/ सहयोग करने पर	रू0 150
ख	बाल स्वास्थ्य	
ii	स्वास्थ्य इकाई से छुट्टी मिलने पर आरोग्य शिविर या सामुदायिक आधारित SAM प्रबंधन द्वारा MUAC के 125 mm के बराबर होने या ज्यादा होने पर	रू0 150
iii	जन्म के समय कम वजन के बच्चों का न्यू बॉर्न से छुट्टी होने के पश्चात् मासिक फालोअप सुनिश्चित करने पर	रू0 50
ग	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	
iv	लिम्फेटिक फाइलेरियासिस— नॉन इंडेमिक जनपद में लिम्फेडिमा एवं हाइड्रोसील के केस का एक बार लाइन लिस्टिंग करने हेतु	रू0 200 इंडेमिक एवं नॉन इंडेमिक जनपद में लिम्फेडिमा एवं हाइड्रोसील के केस का एक बार लाइन लिस्टिन्ग करने हेतु
v	AES/JE केस को निकट के सी0एच0सी0/डी0एच0/मेडिकल कालेज में संदर्भित करने पर	रू0 300/— प्रति केस
घ	अन्य	
vi	(क) वर्ष के आरम्भ में परिवारों की लाइन लिस्टिंग करने पर एवं 6 माह के पश्चात् अद्यतन करने पर (ख) विलेज हेल्थ रजिस्टर बनाने पर एवं जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर (ग) टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर (घ) ANC लाभार्थियों का लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर (ड.) योग्य दम्पत्तियों का लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	रू0 500 (100 x 5)